दिनांक 06.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 364/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मैनपुरी/थाना भोगांव

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 05.07.2026 को थाना भोगांव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त बुद्ध सागर उर्फ शैतान सिंह को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मैनपुरी के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना भोगांव पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भोगांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बुद्ध सागर उर्फ शैतान सिंह निवासी माधौनगर थाना भोगांव जनपद मैनपुरी।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना छपार

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **32 विजटिंग कार्ड, 10 लेटरहेड, 04 मेडिकल अल्ट्रा साउण्ड रिपोर्ट, 06 बुकलेट**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 05.07.2026 को थाना छपार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ताजपुर रजवाहे बरला बसेडा रोड के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–इमलाख उर्फ इमलाक सहित अभियुक्त 2–डॉ0 मंसूर उलहक 3–डॉ0 वी0के0 गौतम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 32 विजटिंग कार्ड,

10 लेटरहेड, 04 मेडिकल अल्ट्रा साउण्ड रिपोर्ट, 06 बुकलेट, 03 मोबाइल फोन, 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त इमलाख उर्फ इमलाक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना छपार पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना छपार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–इमलाख उर्फ इमलाक निवासी ग्राम शेरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

2–डॉ0 मंसूर उलहक निवासी शिवपुरी थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।

3–डॉ0 वी0के0 गौतम निवासी हिमालयन मेडिकेयंर डायग्रोस्टिक सेंटर जीटी रोड निकट हुडई शोरूम, रूडकी रोड हरिद्वार, स्थाईपता शामली अड्डे के पास थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

<u>बरामदगी</u>

1–32 विजटिंग कार्ड, 10 लेटरहेड, 04 मेडिकल अल्ट्रा साउण्ड रिपोर्ट, 06 बुकलेट।

2–03 मोबाइल फोन।

3–01 चार पहिया वाहन आदि।

<u>कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना मसूरी</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 67 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 06.07.2026 को थाना मसूरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1–नवेद 2–शादाब 3–फुरकान को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के

कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 67 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.07.2026 को थाना मसूरी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मसूरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नवेद निवासी सद्दीकपुरा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

2–शादाब निवासी सद्दीकपुरा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

3–फुरकान निवासी सद्दीकपुरा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–लूट के 01 लाख 67 हजार रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट आगरा/थाना सदर बाजार

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख 82 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के 89.07 ग्राम पीली धातु**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 06.07.2026 को थाना सदर बाजार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर उखर्रा रोड 16 बीघा, मुर्गी फार्म के पास से 02 अभियुक्तों 1–रजनीकांत उर्फ चण्डी 2–विजय को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 लाख 82 हजार रूपये नगद, चोरी के 89.07 ग्राम पीली धातु, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16/17.06.2026 को थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, पीली धातु आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रजनीकांत उर्फ चण्डी निवासी रंगनाथ टाकीज खटीकपाडा थाना हरिपर्वत कमिश्नरेट आगरा।

2—विजय निवासी नंगला टेकचंद देवरी रोड थाना सदर बाजार कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1—चोरी के 02 लाख 82 हजार रूपये नगद।

2—चोरी के 89.07 ग्राम पीली धातु।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद बुलन्दशहर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 07 करोड़ 40 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस ने अभियुक्तगण 1—राहुल शर्मा 2—अभिलाष शर्मा 3—सचिन शर्मा पुत्रगण नरेन्द्र शर्मा निवासीगण ग्रीष्म विहार कॉलोनी खेरली हफीजपुर थाना दनकौर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा अपने परिवारीजन के नाम पर अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 07 करोड़ 40 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **जनपद मुजफ्फरनगर/थाना तितावी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को मृत्युदण्ड व 01—01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना तितावी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34

भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सहदेव उर्फ पप्पू 2–प्रमोद को मृत्युदण्ड व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **कमिश्नरेट आगरा/थाना डौकी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय आगरा द्वारा थाना डौकी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रामजीत 2–जयपाल 3–सियाराम 4–अजमेर को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सहारनपुर/थाना सरसावा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना सरसावा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सौरभ 2–नरेन्द्र 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————